

उपस्थिति **(Attendance)**

- विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की दशा में उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- व्याख्यानों तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं की उपस्थिति भिन्न-भिन्न मानी जायेगी।
- अनुशासन हीनता की दशा में निलम्बित किये गये छात्र/छात्रा की उपस्थिति कक्षा में मान्य नहीं होगी।
- अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वह अपने बालक/बालिकाओं की पठन-पाठन/उपस्थिति जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त करते रहे।